न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

जिला करौली, राज0।

मु0 नं0 45/16

ता0 रजु0 6/6/16

रामखेड़ी पुत्र रामधन, आयु 60 वर्ष, जाति मीना, निवासी गम्भीरा, तह0 टोडाभीम, जिला करौली, राज0।

वादी

बनाम

1. माध्यमिक आदर्श विद्या मन्दिर, टोडाभीम (नया बस स्टैण्ड, टोडाभीम जिला करौली, राज0) जरिये अध्यक्ष/प्रधानाध्यापक
2. तहसीलदार, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राज0।
3. सरकार जरिये जिला कलेक्टर, जिला करौली, राज0।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत इस्तकरारहक (घोषणा खातेदारी)</u>

<u>व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक :– 29.06.2018

उपस्थित :–

वादी अधिवक्ता – श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी नं0 1 अधिवक्ता – श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट

प्रतिवादी नं0 2 व 3 की ओर से सरकारी पैरोकार

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने आराजी 347 रकबा 19 ऐयर, 349/949 रकबा 6 ऐयर, 432/1 रकबा 21 ऐयर, 443 रकबा 32 ऐयर, 449 रकबा 33 ऐयर, 484 रकबा 42 ऐयर, स्थित ग्राम

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

त्रिशूल तह० टोडाभीम वादी तथा खातेदार काश्तकार है तथा आराजी ख०नं० 431 तथा 443 वादी की खातेदारी की जमीन एक बंटवारे में ख०नं० 443 का भाग वादी के कब्जे में है तथा ख०नं० 431 एवं ख०नं० 443 के बीच में ख०नं० 444 रकबा 25 ऐयर स्थित ग्राम त्रिशूल तह० टोडाभीम जो वादी की कब्जे की भूमि है। ख०नं० 444 रकबा 25 ऐयर कृषि योग्य भूमि है। जिसको वादी 40 साल से काश्त करता चला आ रहा है। उक्त जमीन पर वादी का संवत् 2072 सन् 2015 में वादी का नाम खसरा गिरदावरी में दर्ज है। इसलिये वादी उक्त जमीन की खातेदारी कराने का अधिकारी है। ख०नं० 441 राजकीय बालिका छात्रावास का जमीन होने के कारण पास उक्त जमीन देखकर ख०नं० 444 को तहसीलदार से सांठगांठ कर प्रतिवादी नं० 1 के नाम अलोटमेन्ट करना चाहते है। घटना दिनांक 30.05.2016 की है। वादी ने प्रतिवादी नं० 2 से उक्त भूमि ख०नं० 444 रकबा 25 ऐयर की खातेदारी वादी के नाम करने की कहा तो प्रतिवादी नं० 1 ने कहा कि इस जमीन को आदर्श विद्या मन्दिर टोडाभीम को अलोट करेंगें। लेकिन प्रतिवादी नं० 2 ने एक नही सुनी। इसलिये यह दावा पेश किया। वादी ने अन्त में ख०नं० 444 रकबा 25 ऐयर की खातेदारी कराने का निवेदन किया ।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाने पर प्रतिवादी नं० 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। जिसमें प्रतिवादी नं० 1 ने अपने जवाब दावा में वादी के समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब दावा में कथन किया। विवादित भूमि ख०नं० 434, 435, 436, 441, 442, 444 जिसका साबिक ख०नं० 181 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 183/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा की पूर्व में खातेदारी मु० शान्ता बेवा पन्ना मीना निवासी महेन्द्रवाडा द्वारा दिनांक 21.06.1991 को सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार के हित में भारतीय शिक्षा समिति गंगापुर रजि०

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

शाखा आदर्श विद्या मन्दिर टोडागीम प्रतिवादी नं0 1 विद्यालय निर्माण एवं खेल मैदान बनाने के लिए समर्पित किया गया। जिस बाबत् प्रतिवादी नं0 1 द्वारा दिनांक 4.6.1991 को प्रतिवादी नं0 1 के हक में एक इकरारनामा 5 रूपये के स्टाम्प पर खातेदार सारा देवी पत्नी द्वारा तहरीर व तकमील किया गया। चूंकि भूमि मीना जाति की होने के कारण प्रतिवादी नं0 1 के हक में खातेदारी दर्ज नहीं हो सकती। इसलिये सारा देवी उक्त भूमि को दिनांक 21.6.1991 को राज्य सरकार के हित में प्रतिवादी नं0 1 के विद्यालय भवन निर्माण व खेल मैदान बनाने के लिए समर्पण किया गया। इसलिये उक्त भूमि ख0नं0 444 रकबा 25 ऐयर पर वादी का कब्जा नहीं। इसलिये वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी नं0 2 व 1 ने भी जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि सिवायचक है और उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 आदर्श विद्या मन्दिर के नाम अलोटमेन्ट करने हेतु प्रस्तावित किया गया हुआ है। और वादी का कोई कब्जा नहीं है। इसलिये वादी वाद खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई तथा दिनांक 08.03.2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र इस आशय का निवेदन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 444 रकबा 25 ऐयर वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। जबकि सरकार की भूमि की खातेदारी का दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत नोटिस सरकार को दिया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस नहीं देने के कारण कानून वादी का दावा खारिज किया जाने योग्य है तथा कानून रूप से धारा 88 टीनेन्सी एक्ट के अनुसार सिवायचक भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का विधि अनुसार वर्जित है। और सिवायचक भूमि की खातेदारी कानूनन नहीं दी जा सकती है तथा यह भी एतराज किया कि उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के हक में

जिला कलक्टर
[illegible]

पूर्व खातेदारी राज्य सरकार को समर्पण किया गया। इसलिये उक्त भूमि की खातेदारी अन्य के नाम कानूनन नहीं किया जा सकता हैं इसलिये वादी का दावा खारिज किया जावें।

वादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी की जवाब प्रस्तुत कर कहा कि वादी ने धारा 80 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं उसे उक्त भूमि पर वादी का 40–45 साल से लगातार कब्जा है तथा सारा देवी ने दिनांक 02.06.1997 कोई समर्पण उक्त भूमि नहींक की। इसलिये प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने राजस्व लोक अदालत मे अधिवक्तागणों की उक्त दरख्वास्त पर बहस सुनी गई। दोनों अधिवक्तागणों ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्रों का दोहराया गया। हमने बहस सुनी जाकर मनन किया। जिसने प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कानूनी एतराज जिसमें सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादी द्वारा केवल धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पेश ही किया गया हैं। लेकिन दावा पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा आदेशिका में या प्रार्थना पत्र 80 (2) पर कहीं भी न्यायालय द्वारा अनुमति दिये जाने का उल्लेख नहीं है। सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है। या फिर न्यायालय से वाद पेश करने की अनुमति लिखित में होना आवश्यक है। जो कि पत्रावली में नहीं है इसलिये हम प्रतिवादी के उक्त कानूनी एतराज से सहमत है तथा कानूनी बिन्दु जिसने उक्त भूमि निषेधक है। इसलिये वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जबकि जवाब में वादी का कथन है कि उक्त भूमि पर वादी का 40–45 साल से कब्जा होना बताते है। जबकि वादी द्वारा पत्रावली में ऐसा साक्ष्य जो लगातार 40–45 साल से वादी का पर्याप्त साबित हो प्रस्तुत नहीं तथा उक्त भूमि का

उपखण्ड कलक्टर
[illegible] (करौली)

पूर्व खातेदार भाना देवी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 के हक में एक इकरारनामा 5 रुपये के स्टाम्प जो दिनांक 04.05.1991 को लिखा गया। जिसमें उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के स्कूल निर्माण एवं खेल मैदान को विक्रय कर दी। चूंकि उक्त भूमि की खातेदारी मीणा जाति के नाम होने से कानूनन रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका। इसलिये प्रतिवादी नं0 1 के हक में राज्य सरकार को दिनांक 21.6.1997 समर्पण कर दिया। और उक्त भूमि सिवायचक हो गयी। जिसका नामान्तकरण सं0 28 खोला गया और प्रतिवादी नं0 1 के हक में अलोटमेन्ट की कार्यवाही को बाधित करने के उद्देश्य से यह दावा वादी गलत प्रस्तुत करना प्रतीत है। इसलिये हम प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझकर वादी का दावा अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित समझता हूं।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का दावा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को राजस्व अदालत टोडाभीम में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलेक्टर
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम